न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक) श्रीमाधोपुर जिला सीकर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी – श्री दिलीप सिंह (RAS)

प्रकरण संख्या	जीसीएमएस	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
87 / 2019	2019 / 136	30.09.2019	06.06.2022

उनवान प्रकरण

1. जयसिंह पुत्र बोदूराम आयु ... वर्ष, जाति जाट निवासी ढ़ाणी कुरब्या की तन् ग्राम गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज.

—वादी

बनाम

1. भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0

—प्रतिवादी

उपस्थितः–

श्री दिनेश कुमार सिंह शेखावत, एड0 वादी अभिभाषक।
सरकारी पैरोकार नायब तहसीलदार श्रीमाधोपुर प्रतिवादी की ओर से ।

वादपत्र बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड अंतर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

–:: निर्णय ::–

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने एक वाद खिलाफ प्रतिवादीगण के इस आशय से प्रस्तुत किया कि तन् ग्राम गढ़टकनेत [illegible] हल्का गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर [illegible] लगायत 317, 432, 434 लगायत 449, 451, 452, कुल किता 25 कुल रकबा 26.8900 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड [illegible] के नाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.01 14:09:13 IST
Reason: SelfAttested

06/06/22
दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

खातेदारी ''जैसाराम पुत्र बोदूराम हिस्सा 1/24'' दर्ज है तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 450/1 रकबा 1.6100 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड में वादी के नाम खातेदारी ''जैसाराम पुत्र बोदूराम हिस्सा 29/966'' दर्ज है। जिसमें वादी का नाम जैसाराम गलत दर्ज है। वादी का वास्तविक नाम जयसिंह पुत्र बोदूराम है। वादी का वास्तविक नाम जयसिंह पुत्र बोदूराम ही है तथा वादी के अन्य समस्त दस्तावेज आधार कार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, परिवार राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड आदि में वादी का नाम जयसिंह पुत्र बोदूराम ही है परन्तु उक्त कृषि भूमि की खातेदारी में वादी का नाम जैसाराम पुत्र बोदूराम अंकित हो गया। जो वादी को घर पर बचपन में जैसाराम के नाम से पुकारने के कारण दर्ज हो गया था तथा वादी का नाम भूमि की खातेदारी में जैसाराम एवं अन्य दस्तावेजात में जयसिंह दर्ज होने से वादी को राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं में परेशानी होती है। इसलिए वादी का नाम कृषि भूमियों की खातेदारी में जैसाराम के स्थान पर जयसिंह घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाना न्यायोचित व आवश्यक है। इस बाबत वादी ने पटवारी हल्का व भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से उक्त सही नाम दुरूस्त करने हेतु निवेदन किया तो अदालत में दावा प्रस्तुत करने हेतु कहे जाने पर इस माननीय न्यायालय में बिनाय ए दावा पैदा होकर दावा प्रस्तुत करना आवश्यक हुआ है।

इस पर वादी के वादपत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में प्रतिवादी भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार श्रीमाधोपुर के जरिये पत्रांक 4690/भू.अ./2021 दिनांक 31.12.2021 के द्वारा जॉच रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। जिसमें तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि उक्त वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी जरिये नामान्तकरण संख्या 633 दिनांक 20.04.2022 के द्वारा खातेदारी दर्ज रिकार्ड हुई है। जिसमें वादी का नाम जैसाराम पुत्र बोदूराम दर्ज रिकार्ड है। पटवारी हल्का गढ़टकनेत ने उक्त भूमि में दर्ज जैसाराम का वास्तविक नाम जयसिंह ही होना बताया है। वादी के दस्तावेजात् यथा आधार कार्ड, भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र में जयसिंह पुत्र बोदूराम ही दर्ज है। पटवारी हल्का गढटकनेत की रिपोर्ट के आधार तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने जैसाराम पुत्र बोदूराम के स्थान पर जयसिंह पुत्र बोदूराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा अपनी रिपोर्ट में की है। प्रकरण

Signature Not Verified
Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.01 14:09:13 IST
Reason: Self Attested

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

में तहसीलदार श्रीमाधोपुर से वस्तुस्थिति की तथ्यात्मक जॉच रिपोर्ट प्राप्त होने से वकील वादी ने वादपत्र को स्वीकार किये जाने का निवेदन करते हुए प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया गया है।

हमनें वादी अभिभाषक की बहस एक पक्षीय सुनी। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वादी अभिभाषक द्वारा की गई बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों वादी के आधार कार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि मे भी वादी का नाम जयसिंह पुत्र बोदूराम ही अंकित होना प्रकट होता है एवं राजस्व रिकॉर्ड अंतिम चौसाला आधार जमाबंदी सम्वत् 2074–2077 के अनुसार वादग्रस्त भूमियों की खातेदारी में वादी का नाम जैसाराम पुत्र बोदूराम दर्ज होना प्रकट होता है जबकि वादी का वास्तविक नाम जयसिंह पुत्र बोदूराम होना रिकार्ड दस्तावेजात् से प्रमाणित होता है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त जॉच रिपोर्ट के अनुसार भी वादी के आधार कार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, जन आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड आदि में भी वादी का नाम जयसिंह पुत्र बोदूराम अंकित होना बताया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने राजस्व रिकार्ड में जैसाराम पुत्र बोदूराम की जगह जयसिंह पुत्र बोदूराम शुद्ध किये जाने की अभिशंषा अपनी रिपोर्ट में अंकित की है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र बाबत घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतित होता है।

—:: क्रियात्मक आदेश ::—

अतः उपर्युक्त विश्लेषण [illegible] का वाद बाबत् घोषणा एंव दुरूस्ती रिकार्ड को स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम [illegible] पटवार हल्का गढ़टकनेत तहसील श्रीमाधोपुर जिला सीकर राज0 में अवस्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 312 लगायत 317,

दिलीप सिंह
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

432, 434 लगायत 449, 451, 452, कुल किता 25 कुल रकबा 26.8900 हैक्टर तथा कृषि भूमि खसरा नम्बर 450/1 रकबा 1.6100 हैक्टर के राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में दर्ज वादी का नाम "जैसाराम पुत्र बोदूराम" के स्थान पर "जयसिंह पुत्र बोदूराम" घोषित किया जाता है तथा उक्तानुसार भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर को राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किये जाने के आदेश दिये जाते है। तद्नुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। तहसीलदार श्रीमाधोपुर को आदेश दिया जाता है कि प्रकरण में राजकीय हित एंव राजस्व अपवंचना की जॉच कर तद्नुसार राजस्व रिकार्ड में नियमानुसार दुरूस्त करने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

06/06/22
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

यह निर्णय आज दिनांक 06.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) श्रीमाधोपुर (सीकर)

06/06/22
(दिलीप सिंह)
सहायक कलक्टर (फास्टट्रेक)
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dilip Singh
Date: 2022.07.01 14:09:13 IST
Reason: SelfAttested